राष्ट्रीय सेमिनार

महिला सशक्तीकरण का समकालीन परिदृश्य और विकास योजनाओं की भूमिका :

मुद्दे, अवसर एवं चुनौतियाँ

(फरवरी 19-20, 2025)

प्रायोजक - भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली

आयोजक - म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन

राष्ट्रीय सेमिनार
महिला सशक्तीकरण का समकालीन परिदृश्य और विकास योजनाओं की भूमिका : मुद्दे, अवसर एवं चुनौतियाँ

(फरवरी 19-20, 2025)

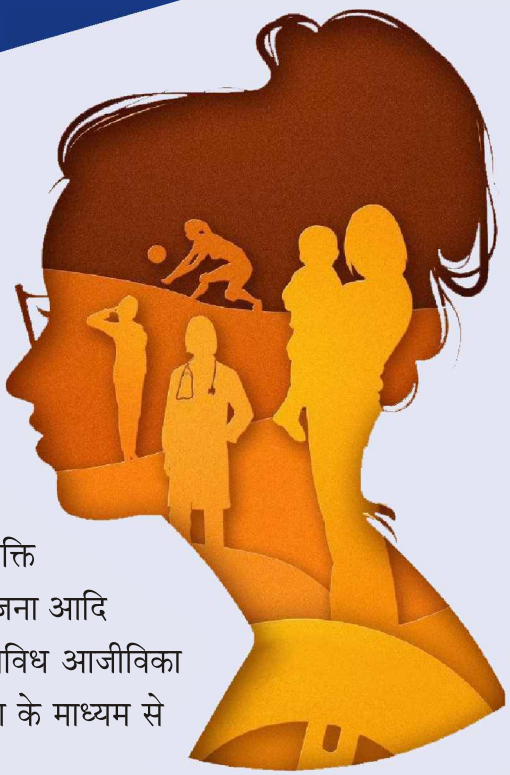

भारत का लक्ष्य 2030 तक संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य-5 को प्राप्त करना है, जो महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता पर केन्द्रित है। भारत में महिला सशक्तीकरण हेतु समय-समय पर सरकारें प्रयास करती रहीं हैं। विगत दशक में महिलाओं के उत्थान हेतु केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, महिला शक्ति केन्द्र योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, लाड़ली बहना योजना आदि योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। परिणामस्वरूप महिलाओं को स्थायी और विविध आजीविका विकल्पों की उपलब्धता, सामाजिक समावेशन, वित्तीय समावेशन और अभिसरण के माध्यम से अधिकारों तक पहुँच सुनिश्चित हुई है।

इस सन्दर्भ में दूसरे पक्ष पर दृष्टिपात करें एवं आँकड़ों पर नजर डालें तो, वर्ष 1951 में भारत की साक्षरता दर केवल 18.3 प्रतिशत थी जिसमें महिलाओं की साक्षरता दर 9 प्रतिशत से भी कम थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में देश की औसत साक्षरता दर 77.70 प्रतिशत थी जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 84.70 प्रतिशत, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 70.30 प्रतिशत थी। अतः यह कहना असंगत नहीं होगा कि विकास योजनाओं के द्वारा महिला सशक्तीकरण की दिशा में उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हुए हैं तथापि कुछ पहलुओं पर अभी भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। आज भी महिलाओं की अधिकांश समस्याओं का कारण आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भरता है। देश की कुल जनसंख्या में 48 प्रतिशत महिलाएँ हैं जिसमें से मात्र एक तिहाई महिलाएँ रोजगार में संलग्न हैं। इसी वजह से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महिलाओं का योगदान केवल 18 प्रतिशत है। राजनीति में महिलाओं की स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में लगभग उनकी जनसंख्या के अनुपात में है यद्यपि ग्रामीण अंचलों में पंचायत स्तर पर अधिकांश महिलाओं को केवल मुखौटे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। महिला सशक्तीकरण की दिशा में वर्तमान सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं द्वारा संचालित व्यवसायों के लिए सब्सिडी, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्वरोजगार हेतु ऋण तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, कानून, अभियान्त्रिकी, प्रबन्धन के साथ-साथ राजनीति के क्षेत्र में भी महिलाओं के नेतृत्व में वृद्धि हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में कानून बनाने और नीतियों को लागू करने के माध्यम से कई उपाय किये गये हैं, लेकिन समाज में लैंगिक आधार पर अभी भी एक बड़ा अन्तर विद्यमान है। वर्तमान सरकार द्वारा किये जा रहे विभिन्न प्रयासों और विकास प्रक्रिया के अन्तर्गत महिला सशक्तीकरण के समकालीन परिदृश्य और विकास योजनाओं की भूमिका पर विचार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उपर्युक्त पृष्ठभूमि में म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन द्वारा 'महिला सशक्तीकरण का समकालीन परिदृश्य और विकास योजनाओं की भूमिका : मुद्दे, अवसर एवं चुनौतियाँ' विषय पर द्वि-दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार 19-20 फरवरी 2025 को आयोजित किया जा रहा है।

सेमिनार के उद्देश्य

1. भारत में महिला सशक्तीकरण के समकालीन परिदृश्य में केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का महिलाओं पर पड़ने वाले सामाजिक-राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव का आँकलन करना।
2. महिला सशक्तीकरण हेतु सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की प्रभावकारिता और उनके संचालन में आने वाली विभिन्न विशेष समस्याओं और मुद्दों का विश्लेषण।
3. महिला सशक्तीकरण हेतु कानून तथा नीतियों पर वांछित सुझाव प्रस्तुत करना।

सेमिनार के उप-विषय

1. भारत में महिला सशक्तीकरण के समकालीन परिदृश्य में केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा।
2. महिला सशक्तीकरण की दिशा में केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का महिलाओं पर पड़ने वाले सामाजिक-राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव।
3. वर्तमान सन्दर्भों में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार की स्थिति तथा विभिन्न कार्यक्रमों की भूमिका/योगदान।
4. भारत में लैंगिक भेदभाव की वर्तमान स्थिति एवं उनके कारक।
5. सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की प्रभावकारिता और उनके संचालन में आने वाली विशेष समस्याएँ एवं ज्वलन्त मुद्दे।
6. महिलास शक्तीकरण हेतु विभिन्न कानून तथा नीतियाँ एवं विभिन्न आयाम/प्रभाव।

सेमिनार उपर्युक्त उपविषयों पर केन्द्रित होगा। सेमिनार के उपविषयों से सम्बन्धित मुद्दों पर संकाय सदस्यों, अनुसन्धानकर्ताओं और विकास कार्यकर्ताओं से शोधपत्र प्रस्तुति हेतु आमन्त्रित किये जाते हैं। चयनित प्रतिभागियों को शोधपत्रों के प्रस्तुतीकरण हेतु आमन्त्रित किया जायेगा। सेमिनार में प्रतिभागियों हेतु यात्रा-व्यय, आवास तथा अन्य सुविधाओं का प्रबन्धन संस्थान द्वारा किया जायेगा। प्रतिभागियों को शोधपत्र प्रस्तुतीकरण हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है।

संक्षेपिका 100 से 150 शब्द तथा शोध पत्र 4000 से 5000 शब्द

भेजने की अन्तिम तिथि : 5 फरवरी 2025

ई –मेल : mailboxmpissr@gmail.com

डॉ. अमित तिवारी
समन्वयक
96179-17954

प्रोफेसर सन्दीप जोशी
संयोजक

प्रोफेसर यतीन्द्र सिंह सिसोदिया
निदेशक

म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान
(भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का स्वायत्त संस्थान)
6, प्रोफेसर रामसखा गौतम मार्ग, भरतपुरी प्रशासनिक प्रक्षेत्र, उज्जैन (म.प्र.)
फोन - 0734-2510978, ई-मेल - mailboxmpissr@gmail.com वेब - www.mpissr.org